रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-01072022-236943
CG-GJ-E-01072022-236943

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2022/आषाढ़ 9, 1944
No. 332] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2022/ASADHA 9, 1944

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 29 जून, 2022

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी)(संशोधन) विनियम, 2022

आई.एफ.एस.सी.ए./2022-23/जी.एन./रेग्यु025.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) विनियम, 2020 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) (संशोधन) विनियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) विनियम, 2020 (जिन्हें इसमें से पश्चात् मूल विनियम कहा गया है, के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) "बैंककारी यूनिट" या "आई.एफ.एस.सी. बैंककारी यूनिट" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कोई ऐसी वित्तीय संस्था अभिप्रेत है, जो प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय क्रियाकलाप करने के लिए अनुज्ञप्त है;"

3. मूल विनियमों में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(घक) "वैश्विक (ग्लोबल) प्रशासनिक कार्यालय" या "जी.ए.ओ." से उसके मूल बैंक द्वारा निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कोई एक या अधिक क्रियाकलाप करने के लिए आई.एफ.एस.सी. में स्थापित कोई वित्तीय संस्था अभिप्रेत है, अर्थात्:-

(i) मूल बैंक या आई.एफ.एस.सी. में या आई.एफ.एस.सी. के बाहर किसी भी समूह इकाई के प्रचालनों का प्रबंध, प्रशासन या समन्वय करना;

(ii) मूल बैंक या किसी समूह इकाई को, आई.एफ.एस.सी. में या आई.एफ.एस.सी. के बाहर अनुज्ञात क्रियाकलापों के निष्पादन के लिए सहायता सेवाएं प्रदान करना ।

परन्तु आई.एफ.एस.सी. के बाहर किसी अधिकार-क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलाप, उक्त अधिकार-क्षेत्र में सुसंगत विनियामक के निदेशों और अनुदेशों के अधीन होंगे ।

"(घख) "समूह इकाई" से ऐसी कोई नियंत्री कंपनी, सहायक कंपनी, शाखा या कोई अन्य इकाई, चाहे वे किसी भी विधिक रूप में हो, अभिप्रेत है, जिसके माध्यम से मूल बैंक अपने प्रचालन या अनुज्ञात क्रियाकलाप करता है ।"

4. मूल विनियमों में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ञ) "मूल बैंक" से, उप-विनियम (घ) के अधीन यथा-परिभाषित कोई ऐसा विदेशी बैंक या उप-विनियम (च) के अधीन यथा-परिभाषित कोई ऐसा भारतीय बैंक या दोनों अभिप्रेत हैं, जिसका आशय कोई बैंककारी यूनिट या प्रतिनिधि कार्यालय या क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय स्थापित करना है या जिसने कोई बैंककारी यूनिट या प्रतिनिधि कार्यालय या क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किया है;"

5. मूल विनियमों में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ठक) "प्रतिनिधि कार्यालय" या "आर.ओ." से उसके मूल बैंक द्वारा निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कोई एक या अधिक क्रियाकलाप करने के लिए, आई.एफ.एस.सी. में स्थापित की गई कोई वित्तीय संस्था अभिप्रेत है, अर्थात्:-

(i) वित्तीय उत्पादों का विपणन करना;

(ii) डाटा का संग्रहण करना;

(iii) पहुंच से परे प्रचालनों को क्रियान्वित करना ।"

6. मूल विनियमों में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ण) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(णक) "सहायता सेवाओं" से, अनुज्ञात क्रियाकलापों के निष्पादन के लिए अपेक्षित अनुषंगी क्रियाकलाप और प्रक्रमण अभिप्रेत हैं ।"

7. मूल विनियमों में, विनियम 3 के उप-विनियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(9) कोई मूल बैंक, आई.एफ.एस.सी. में, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, एक उपयुक्त प्रक्रिया के अधीन अपना प्रतिनिधि कार्यालय या वैश्विक प्रशासनिक कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।"

इनजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन III.4/असा./152/2022-23]

टिप्पण:

1. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) विनियम, 2020, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. आई.एफ.एस.सी.ए./2020-21/जी.एन./रेग्यु004 द्वारा तारीख 20 नवम्बर, 2020 को प्रकाशित किए गए थे, जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. सी.जी-एम.एच.-ई-12052021-226980

द्वारा तारीख 12 मई, 2021 को प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण के शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाना है;

2. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) (संशोधन) विनियम, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. आई.एफ.एस.सी.ए./2020-21/जी.एन. /रेग्यु009 द्वारा तारीख 25 मार्च, 2021 को प्रकाशित किए गए थे; और

3. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) (संशोधन) विनियम, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. आई.एफ.एस.सी.ए./2021-22/जी.एन./रेग्यु013 द्वारा तारीख 5 जुलाई, 2021 को प्रकाशित किए गए थे ।

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 29th June, 2022

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY (BANKING) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

IFSCA/2022-23/GN/REG025.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations further to amend the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020, namely: -

1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Banking) (Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020 (hereinafter referred to as the Principal Regulations), clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 2, shall be substituted with the following, namely,—

"(c) "Banking Unit" or "IFSC Banking Unit" means a financial institution under clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Act that is licensed by the Authority to undertake permissible activities under these regulations;"

3. In the Principal Regulations, after clause (d) of sub-regulation (1) of regulation 2, following clauses shall be inserted, namely,—

"(da) "Global Administrative Office" or "GAO" means a financial institution set up by its Parent Bank in IFSC for undertaking any one or more of the following activities, namely:

(i) managing, administering, or coordinating operations of the Parent Bank or any of the Group entities either in IFSC or outside IFSC;

(ii) providing support services to Parent Bank or any of the Group entities for execution of the permitted activities either in IFSC or outside IFSC

Provided that the activities pertaining to a jurisdiction outside IFSC shall be subject to the directions and instructions of the relevant regulator in the said jurisdiction.

"(db) "Group entities" means any holding company, subsidiaries, branches or any other entity, in whatever legal form, through which the Parent bank undertakes its operations or permitted activities.

4. In the Principal Regulations, clause (j) of sub-regulation (1) of regulation 2, shall be substituted with the following, namely,—

"(j) "Parent Bank" means a Foreign Bank as defined under sub-regulation (d), or an Indian Bank as defined under sub-regulation (f), or both, that intends to, or has set up a Banking Unit or Representative Office or Regional Administrative Office;

5. In the Principal Regulations, after clause (l) of sub-regulation (1) of regulation 2, following clause shall be inserted, namely,—

"(la) "Representative Office" or "RO" means a financial institution set up by its Parent Bank in IFSC for undertaking any one or more of the following activities, namely:

(i) marketing of financial products;

(ii) collection of data;

(iii) carrying out of outreach operations."

6. In the Principal Regulations, after clause (o) of sub-regulation (1) of regulation 2, following clause shall be inserted, namely,—

"(oa) "Support services" shall mean the ancillary activities and processes required for execution of the permitted activities"

7. In the Principal Regulations, sub regulation 9 of regulation 3, shall be substituted with the following, namely:

"(9) A Parent Bank may set up its Representative Office or Global Administrative Office in IFSC under a suitable mechanism, subject to such conditions as may be specified by the Authority."

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./152/2022-23]

Note:

1. The International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020 were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IFSCA/2020-21/GN/REG004 on 20th November 2020, to be read with the Corrigendum published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. CG-MH-E-12052021-226980, on 12th May, 2021;
2. The International Financial Services Centres Authority (Banking) (Amendment) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IFSCA/2020-21/GN/REG009 on 25th March, 2021; and
3. The International Financial Services Centres Authority (Banking) (Amendment) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IFSCA/2021-22/GN/REG013 on 05th July, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.07.01 16:09:57 +05'30'